न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 109/2023

निर्णय दिनांक :– 8/4/2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. सुगनपाल पुत्र भंवरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. यशपाल पुत्र भंवरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :– श्री बंशीलाल कलवाऱ् **तहसीलदार देवली**

अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 0.52 है0, 1558 रकबा 0.18 है, खसरा नम्बर 2173 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 2175 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 3470/177 रकबा 1.55 है0 व खसरा नम्बर 956 रकबा 0.37 है0 कूल किता 6 कुल रकबा 3.17 है0 वाके ग्राम चांदली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के सीमा चिन्ह मिट चुके है। इसलिए प्रार्थीगण उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के आस–पास वर्तमान मे कोई फसल नही है सभी फसले कट चूकी है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजीयात भूमि को जरिए पत्थगढी नपवाना चाहता है, जिसके के लिए राजकोष में नियमानुसार राशि जमा कराने को भी तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :– उक्त आराजी प्रार्थी की खातदारी में दर्ज है व कब्जे काश्त की है व अन्य खातेदारों का कब्जा नही

आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारो खसरा नम्बर 1559 के खातेदार दुर्गालाल पुत्र भेमा, सत्यनारायण पुत्र भेमा जाति धाकड से सीमा विवाद है। जिन खातेदारों से सीमा विवाद है उनको पक्षकार नही बनाया गया है। उक्त आराजी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नही है और पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि को मुक्त कर, प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2074–77 में अंकित खसरा नम्बर 109 रकबा 0.52 है0, 1558 रकबा 0.18 है, खसरा नम्बर 2173 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 2175 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 3470/177 रकबा 1.55 है0 व खसरा नम्बर 956 रकबा 0.37 है0 चांदली तहसील देवली जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली